दिनांक 29 मई, 2020 के 15:00 बजे वर्च्युअल मीडियम से आयोजित खाद्य प्राधिकरण की 30वीं बैठक का कार्यवृत्त

भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण (एफ.एस.एस.ए.आई) की तीसवीं बैठक एफ.डी.ए भवन, कोटला रोड, नई दिल्ली में दिनांक 29 मई, 2020 के 15:00 बजे सुश्री रीता तेवतिया, अध्यक्ष, एफ.एस.एस.ए.आई की अध्यक्षता में सम्पन्न हुई। बैठक कोरोना वायरस की विश्व महामारी के कारण लगे लॉकडाउन के मद्देनजर वर्च्युअल मीडियम से ऑनलाइन हुई। भागीदारों की सूची **अनुबंध-1** पर संलग्न है।

प्रमुख (सामान्य प्रशासन), एफ.एस.एस.ए.आई ने अध्यक्ष, एफ.एस.एस.ए.आई, प्राधिकरण के सदस्यों और उद्योग के विशेष आमंत्रितों का बैठक में स्वागत किया। उन्होंने बैठक में उपस्थित प्राधिकरण के सभी सदस्यों का परिचय कराया। उन्होंने कहा कि पिछली बैठक 6 नवंबर, 2019 को हुई थी तथा लॉकडाउन के कारण तथा दिनांक 13.03.2020 के लिए पिछली बार तय बैठक के स्थगित हो जाने के कारण इस बार इसके आयोजन में असाधारण देरी हुई। उन्होंने आगे कहा कि वर्तमान परिस्थितियों में बैठक को सम्मेलन कक्ष में आयोजित न किए जा सकने के कारण इसे ऑनलाइन करने के सिवाय और कोई चारा नहीं था। इसके बाद उन्होंने अध्यक्ष महोदया को अपने स्वागत वक्तव्य से बैठक आरंभ करने का अनुरोध किया।

अपने स्वागत वक्तव्य में अध्यक्ष महोदया ने मंत्रालय के प्रतिनिधियों तथा उद्योग के विशेष आमंत्रितियों का बैठक में भाग लेने के लिए धन्यवाद प्रकट किया। उन्होंने एफ.एस.एस.ए.आई के पूर्व मुख्य कार्यकारी अधिकारी, श्री पवन अग्रवाल की खाद्य प्राधिकरण को 4 वर्षों तक दी गई सेवाओं और एफ.एस.एस.ए.आई का चहुँमुखी विकास करने के लिए सराहना की। उन्होंने इस बात को सहर्ष स्वीकार किया कि श्री अग्रवाल ने इस अवधि के दौरान पारदर्शिता की संस्कृति तथा विनियामक एवं उद्योग के मध्य सहयोग को पनपाया। मुख्य कार्यकारी अधिकारी ने श्री जी.एस.जी अय्यंगार, नए मुख्य कार्यकारी अधिकारी का खाद्य प्राधिकरण को परिचय कराया। उन्होंने आगे कहा कि कोविड-19 की इस महामारी ने सरकारी संगठनों के कार्यकरण के ढंग को बदल दिया है। एफ.एस.एस.ए.आई ने वैज्ञानिक पैनलों, सीएसी इत्यादि की अपनी विभिन्न बैठकों को कुछ दिक्कतों को झेलते हुए ऑनलाइन ही आयोजित किया है। अध्यक्ष महोदय ने इस बात पर प्रकाश डाला कि लगता है कि इस बार खाद्य प्राधिकरण की कार्यसूची ऐसी उन व्यापारिक संस्थाओं को भी परिचालित कर दी गई जो इसके सदस्य नहीं हैं। उन्होंने इस तथ्य की ओर ध्यान आकर्षित किया कि यह कार्यसूची गोपनीय है तथा यह खाद्य प्राधिकरण का अंतिम निर्णय नहीं है। इसके बाद मुख्य कार्यकारी अधिकारी,

एफ.एस.एस.ए.आई को पिछली बैठक के बाद हुई प्राधिकरण की उपलब्धियों पर प्रकाश डालने का अनुरोध किया गया।

मुख्य कार्यकारी अधिकारी ने सूचित किया कि मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में खाद्य प्राधिकरण की यह उनकी पहली बैठक है। उन्होंने कोरोना वायरस के संक्रमण के बारे में कई भ्रांतियों की ओर ध्यान दिलाया और स्पष्ट किया कि एफ.एस.एस.ए.आई पिछले 60 दिनों से जमीनी हकीकत की समीक्षा कर रही है। एफ.एस.एस.ए.आई की राष्ट्रीय खाद्य प्रयोगशालाएँ तथा एफ.एस.एस.ए.आई द्वारा अधिसूचित अन्य प्रयोगशालाएँ इस विश्व महामारी के दौरान कार्य कर रही हैं। खाद्य आयात निर्मुक्ति को सुचारू बनाया जा रहा है, खाद्य कारोबारियों को लाइसेंस लेने, विनियमों के अंगीकरण इत्यादि को सुचारू बनाए रखने के लिए एफ.एस.एस.ए.आई राज्यों/संघशासित क्षेत्रों के साथ निकटता से काम कर रही है।

मद सं0 1: दिनांक 06.11.2019 को आयोजित 29वीं बैठक के कार्यवृत्त की पुष्टि

दिनांक 06.11.2019 को आयोजित प्राधिकरण की 29वीं बैठक का कार्यवृत्त सदस्यों को परिचालित किया गया था, जिस पर कोई टिप्पणी प्राप्त नहीं हुई। कार्यवृत्त की पुष्टि की गई और उसका अंगीकरण किया गया।

मद सं0 2 : 29वीं बैठक के कार्यवृत्त पर की गई कार्रवाई की रिपोर्ट

की गई कार्रवाई की रिपोर्ट निम्नलिखित अवलोकनों के साथ नोट की गई। यह अवलोकन किया गया कि अनेक संशोधन/नए विनियम मंत्रालय के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के पास अनुमोदन के लिए लंबित हैं। इस संबंध में खाद्य प्राधिकरण ने मंत्रालय को लंबित अधिसूचनाओं का अनुमोदन तीव्रता से करने का अनुरोध किया।

मद सं0 III : मुख्य कार्यकारी अधिकारी की रिपोर्ट

प्राधिकरण ने बैठक के दौरान प्रस्तुत मुख्य कार्यकारी अधिकारी की रिपोर्ट नोट की (**अनुबंध-2**)।

अनुमोदनार्थ कार्यसूची

30.1 खाद्य मानक/विनियम

(क) अंतिम अधिसूचनाओं के लिए प्रस्तावित संशोधन

(I) खाद्य सुरक्षा और मानक (खाद्य उत्पाद मानक और खाद्य सहयोज्य) विनियम, 2011 के संबंध में खाद्य मानकों का संशोधन;

i. निम्नलिखित वस्तुओं के मानकों से संबंधित मसौदा अधिसूचना दिनांक 26.07.2019:

(क) बिस्कुट,

(ख) ब्रेड और ब्रेड जैसे उत्पाद,

(ग) ज्वार,

(घ) मैदा

(ङ) सूजी

(च) नाश्ते के धान्य

(छ) बाजरे का आटा

(ज) ज्वार का आटा

1) मद (च), (छ), (ज) के संबंध में विशेष आमंत्रितियों ने मुख्यत: आर्द्रता अंश, तथा एल्कोहलीय अम्लता के बारे में बैठक से एक दिन पहले अपनी सम्मतियाँ प्रस्तुत कीं, जिन पर संबंधित वैज्ञानिक पैनल और वैज्ञानिक समिति की प्रतिक्रिया पहले लेने को कहा गया।

2) संयुक्त सचिव, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय ने भी कहा कि उनके पास उपलब्ध डैटा आर्द्रता अंश और एल्कोहलीय अम्लता की प्रस्तावित सीमा के अनुरूप नहीं है और अनुरोध किया कि सीमा पर विचार करने के लिए वैज्ञानिक पैनल डैटा को रीवैलिडेट करे।

3) सचिवालय को सम्मतियों पर संबंधित वैज्ञानिक पैनल से चर्चा करने का निर्देश दिया गया।

4) नाश्ते के धान्यों के संबंध में कार्यसूची की मद खंड-2 के पृष्ठ 11 पर खंड (4) के अंतर्गत "उत्पाद में कुल मिलाकर 50 प्रति शत धान्य/आभासी धान्य/अनाज हों" वाक्य की जगह "संघटकों की सूची में एक साथ उल्लिखित किए जाने पर उत्पाद में धान्य/आभासी धान्य/अनाज प्रथम संघटक के रूप में हों" वाक्य रखने पर सहमति हुई।

इन अवलोकनों के साथ प्राधिकरण ने केवल मद (क) से (ङ) की अंतिम अधिसूचना का अनुमोदन किया तथा मद (च) से (ज) के संबंध में प्राधिकरण की तरफ से अंतिम निर्णय लेने के लिए अध्यक्ष को प्राधिकृत किया।

ii. **'विनियम 2.1.4 और 2.1.5 : ग्लुटेनमुक्त खाद्य तथा गलुटेन अंश को 20-100 मिग्रा/किग्रा स्तर तक कम करने के लिए विशेष रूप से प्रसंस्कृत खाद्य' में संशोधन से संबंधित मसौदा अधिसूचना दिनांक 26.07.2019**

प्राधिकरण ने प्रस्तुत अंतिम अधिसूचना का अनुमोदन किया।

iii. **निम्नलिखित से संबंधित अंतिम अधिसूचना :**

(क) 'एफसी 1.7 : डेयरी-आधारित डेजर्ट' में टोकोफेरॉल शामिल करना, और

(ख) विभिन्न खाद्य श्रेणियों में उपयोग के लिए अतिरिक्त प्रसंस्करण सहायक सामग्रियाँ

प्राधिकरण ने प्रस्तुत अंतिम अधिसूचना का अनुमोदन किया।

iv. **ट्रीहैलोज के मानकों से संबंधित मसौदा अधिसूचना दिनांक 26.07.2019 पर प्राप्त सम्मतियों पर विचार**

प्राधिकरण ने प्रस्तुत अंतिम अधिसूचना का अनुमोदन किया।

v. **मसालों और जड़ी-बूटियों के सूक्ष्मजैविक मानकों से संबंधित मसौदा अधिसूचना दिनांक 16.07.2019**

प्राधिकरण ने कार्यसूची की मद पर विचार कर की गई कार्रवाई की पुष्टि की।

vi. **अंडा और अंडा उत्पादों के सूक्ष्मजैविक मानकों से संबंधित मसौदा अधिसूचना दिनांक 16.07.2019**

प्राधिकरण ने प्रस्तुत अंतिम अधिसूचना का अनुमोदन किया।

(II) खाद्य सुरक्षा और मानक (विक्रय प्रतिषेध और निर्बंधन) विनियम

(क) ताजा/अप्रयुक्त वनस्पति तेल में टोटल पोलर कंपाउंडों की सीमा

प्राधिकरण ने प्रस्तुत अंतिम अधिसूचना का अनुमोदन किया। तथापि सीआईआई से विशेष आमंत्रिति ने टोटल पोलर कंपाउंडों की परीक्षणों किटों संबंधी मुद्दा उठाया और कहा कि उनके पास कुछ ऐसा डैटा है जिसका पद्धति के विरुद्ध वैधीकरण किया जा सकता है। अध्यक्ष ने उस डैटा पर विचार करने के लिए उसे खाद्य प्राधिकरण को प्रस्तुत करने के लिए कहा।

(III) खाद्य सुरक्षा और मानक (अल्कोहालिक बीवरेज) विनियम, 2018 में संशोधन के संबंध में अंतिम (मसौदा) अधिसूचना

1) **विशेष आमंत्रिती ने अपनी सम्मति प्रस्तुत की, जिस पर संबंधित वैज्ञानिक पैनल की राय भी प्रस्तुत की गई तथा विचार के बाद निम्नलिखित संशोधन सुझाए गए:**

   i) **कार्यसूची के पृष्ठ 41 पर सारणी 4 के क्रम सं0 (1) के कॉलम (3) में दी गई सीमा से पहले ">" प्रतीक जोड़ा जाए, क्योंकि वह टाइपिंग की गलती थी।**

   ii) **'पोर्ट वाइन' शब्दों और उनकी परिभाषा को लुप्त किया जाए, क्योंकि ऐसे शब्दों का प्रयोग न करने का निर्णय पहले ही लिया जा चुका है जो भौगोलिक इंडिकेटर के अंतर्गत संरक्षित हों।**

2) **यह भी नोट किया गया कि विशेष आमंत्रितियों द्वारा कुछ नई सम्मतियाँ भी दी गई हैं, जिन पर इस स्तर पर विचार नहीं किया जा सकता, क्योंकि मसौदा चरण पर पर्याप्त समय दिया जा चुका है। तथापि, उन्हें संबंधित वैज्ञानिक पैनल को भेजा जा सकता है और वैज्ञानिक पैनल की सिफारिश, यदि कोई हो, को संशोधन के रूप में माना जा सकता है।**

उपर्युक्त संशोधनों के साथ प्राधिकरण ने अंतिम अधिसूचना का अनुमोदन किया।

(IV) सूक्ष्म पोषक तत्वों की सह्यता सीमा तय करने के लिए खाद्य सुरक्षा और मानक (खाद्य सुदृढ़ीकरण) विनियम, 2018 में अंतिम(मसौदा) संशोधन

विशेष आमंत्रिती ने प्रस्तुत किया कि पोषक तत्वों की 10% सामान्य सह्यता सीमा की समीक्षा करने की आवश्यकता है और सुझाव दिया कि कोडेक्स और अन्य विनियमों की भाँति सह्यता सीमा हर पोषक तत्व के लिए अलग-अलग हो। अध्यक्ष ने मामले की पुनरीक्षा संबंधित वैज्ञानिक पैनल का परामर्श लेकर करने का सुझाव दिया।

प्राधिकरण संशोधन की पुनरीक्षा करने पर सहमत हुई तथा उसने अपनी तरफ से अंतिम अधिसूचना का अनुमोदन करने के लिए अध्यक्ष को प्राधिकृत किया।

(V) खाद्य सुरक्षा और मानक (पैकेजिंग और लेबलिंग) विनियम, 2011 के संबंध में खाद्य मानकों में संशोधन; मसौदा खाद्य सुरक्षा और मानक (लेबलिंग और प्रदर्श) विनियम, 2020

खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय तथा विशेष आमंत्रितियों ने प्रस्तावित अंतिम विनियमों के कई मुद्दे उठाए। विचार-विमर्श के बाद प्राधिकरण निम्नलिखित पर सहमत हुई:-

1) मौजूदा कोविड-19 विश्व महामारी के परिदृश्य में इन विनियमों के प्रवर्तन और पुराने लेबल की इन्वेंटरी को खत्म करने के लिए खाद्य कारोबारियों को विशेष मामले के रूप में एक वर्ष का संक्रमण काल देना।
2) 30 दिनों के अंदर अंतिम निर्णय लेने के लिए 'बच्चे' की परिभाषा तथा इसके अन्य अंतर्राष्ट्रीय मार्गदर्शी सिद्धांतों से सुमेलन के लिए कार्य दल को भेजना, जिससे आवश्यक होने पर उस परिभाषा में संशोधन किया जा सके।
3) कार्यसूची के खंड-2 में पृष्ठ 50 पर विनियम 4.2(2) से 'और/अथवा प्रसंस्करण सहायक सामग्री' शब्दों और प्रतीक को लुप्त करना।
4) कार्यसूची के खंड-2 में पृष्ठ 52 पर विनियम 4.2(ङ) से 'अलग से' शब्द लुप्त करना।
5) कार्यसूची के खंड-2 पर पृष्ठ 55 पर पोषण सूचना लेबलिंग से छूटों की सूची में कॉफी, विकैफीनीकृत कॉफी, विलेय कॉफी पाउडर, कॉफी-कासनी मिश्रण खाद्य उत्पादों को शामिल करना।
6) न्युट्रा विनियमों में विहित अपेक्षाओं के अनुपालन के अध्यधीन कार्यसूची के खंड-2 पर पृष्ठ 55 पर पोषण सूचना लेबलिंग से छूटों की सूची में विशेष आहार विषयक उपयोग के लिए खाद्य और विशेष चिकित्सा प्रयोजन के लिए खाद्य शामिल करना।
7) सह्यता सीमा अन्य विनियमों के अनुरूप पोषक तत्व के मान के अधिकतम 10% करना।
8) कार्यसूची के खंड-2 पर पृष्ठ 55 पर दिए गए विनियम 4.2(4) को हटाकर उसे विनियम 4.2 के अंत में खंड (15) के रूप में देना।
9) कार्यसूची के खंड-2 पर पृष्ठ 60 पर विनियम 4.2(14) के अंतर्गत सूचीबद्ध प्रत्येक एलर्जेन के सामने एलर्जीकारी संघटकों को ब्रेकिट में देने के लिए घोषणा का प्ररूप शामिल करना।
10) कार्यसूची के खंड-2 पर पृष्ठ 60 पर विनियम (11) के अंतर्गत 'इन विनियमों में दी गई अपेक्षा के अतिरिक्त' शब्द जोड़ना।
11) यदि आवश्यक हो तो बाद में पुनरीक्षण के लिए कार्यसूची के खंड-2 पर पृष्ठ 61 पर विनियम 5 के अंतर्गत सारणी में उल्लिखित अंक और वर्ण की ऊँचाई के संबंध में उद्योग से भौतिक नमूने लेना।

12) कार्यसूची के खंड-2 में पृष्ठ 64 पर विनियम 7(1) में लाइसेंस संख्या और लोगो शामिल करना। सम्मुख भाग पर पोषण लेबलिंग (एफओपीएनएल) के पुनरीक्षण के बाद एफओपीएनएल को शामिल किया जाएगा।

13) सदस्यों द्वारा सुझाई गई संपादन संबंधी तथा गौण अशुद्धियों को ठीक करना।

इन सहमतियों के साथ प्राधिकरण ने अंतिम विनियमों का अनुमोदन किया और निर्देश दिया कि उन्हें मंत्रालय को भेज दिया जाए। यदि आवश्यक हुआ तो बिंदु संख्या 2, 7 और 11 के संबंध में निर्णय अंतिमित विनियम में उपयुक्त रूप से शामिल किया जाएगा।

(ख) मसौदा अधिसूचनाओं के लिए प्रस्तावित प्रलेख

(I) खाद्य सुरक्षा और मानक (खाद्य उत्पाद मानक और खाद्य सहयोज्य) विनियम, 2011 के संबंध में खाद्य मानकों में संशोधन

i) 'विनियम 2.2 वसा, तेल और वसा पायस' से संबंधित

ii) 'विनियम 2.3, फल और सब्जी उत्पाद' से संबंधित : कसे शुष्कित नारियल के मौजूदा मानकों का कोडेक्स के मानकों से सुमेलन।

iii) 'विनियम 2.4 धान्य और धान्य उत्पाद' से संबंधित : पापड़

iv) 'विनियम 2.5 मांस और मांस उत्पाद' से संबंधित

1. 'ताजा अथवा द्रुतशीतित अथवा प्रशीतित बीफ' संबंधी मानक में मिथुन मांस शामिल करना

2. ताजा अंडों का भंडारण काल शामिल करना

v) 'विनियम 2.9 लवण, मसाले, कंडिमेंट और संबद्ध उत्पाद : 1. परिशोधित आयोडीनीकृत नमक का नया मानक, 2 अल्प सोडियम नमक' से संबंधित

vi) 'विनियम 2.10 बीवरेज (डेयरी, फल और सब्जी आधारित से इतर): 1. नारियल नीर, 2. खाद्य सुरक्षा और मानक (खाद्य उत्पाद मानक और खाद्य सहयोज्य) विनियम, 2011 के उप-विनियम 2.10.8 में संशोधन' से संबंधित

vii) 'अध्याय 3 : खाद्य में योजित पदार्थ और परिशिष्ट 'क' से संबंधित

1. 'खाद्य श्रेणी 7.1 ब्रेड और आम बेकरी खाद्य तथा मिश्र' और इसकी उप-श्रेणियाँ' में प्रोपलीन ग्लाइकोल एल्जीनेट (अईएनएस 405) शामिल करना।

2. 'खाद्य श्रेणी 1.6.5 पनीर सदृश' में ''फॉस्फेट'' के लिए नोट 33 जोड़ना।

3. 'खाद्य रेणी 5.2 सख्त और मृदु कैंडी सहित मिष्टान्न' से संबंधित संशोधन।

4. **औद्योगिक प्रयोग के लिए फलों, सब्जियों के रसों में SO_2 के स्तर में संशोधन।**
5. **'खाद्य श्रेणी 14.2.6 आसुत स्प्रिटयुक्त बीवरेज' में 'टाट्राजीन, कार्मोइसिन, ब्रिलिंएट ब्ल्यू, सनसेट येलो तथा पाँसो 4आर रंग शामिल करने।**

viii) 'अध्याय 3 : परिशिष्ट 'ख' से संबंधित

क. स्वास्थ्य पूरक, न्युट्रास्युटिकल्स, विशष आहार विषयक उपयोग के लिए खाद्य, विशेष चिकित्सा प्रयोजन के लिए खाद्य, कृत्यकारी खाद्य तथा नूतन खाद्य के सूक्ष्मजैविक मानक

प्राधिकरण ने मसौदा अधिसूचना का यथाप्रस्ताव अनुमोदन किया।

(II) खाद्य सुरक्षा और मानक (अलकोहालिक पेय) विनियम, 2018 में संशोधन. 1. खंड 5.9.1 और 5.9.2 में संशोधन

प्राधिकरण ने मसौदा अधिसूचना का यथाप्रस्ताव अनुमोदन किया।

(III) खाद्य सुरक्षा और मानक (खाद्य सुदृढ़ीकरण) विनियम, 2018 में संशोधन.

i) सिकल सेल अनीमिया से ग्रसित रोगियों के लिए उपबंध शामिल करने के संबंध में

ii) आयोडीनीकृत लवण तथा लौह पौष्टिकीकृत आयोडीनीकृत लवण में आयोडीन अंश के उपबंध का पुनरीक्षण

iii) पौष्टिकीकृत दुग्ध पाउडर के उपबंध को शामिल करने के संबंध में

iv) अनुसूची-1, खंड 6 के अंतर्गत उपबंध का पुनरीक्षण।

प्राधिकरण ने मसौदा अधिसूचना का यथाप्रस्ताव अनुमोदन किया।

(IV) खाद्य सुरक्षा और मानक (विज्ञापन और दावे) विनियम, 2018 में संशोधन

(i) फोलेट और फोलिट एसिडों के लिए वर्णित दावों का पुनरीक्षण

प्राधिकरण ने मसौदा अधिसूचना का यथाप्रस्ताव अनुमोदन किया।

(V) खाद्य सुरक्षा और मानक (पैकेजिंग) विनियम, 2018 में संशोधन

(i) खंड 4.4 में संशोधन

प्राधिकरण ने मसौदा अधिसूचना का यथाप्रस्ताव अनुमोदन किया।

(VI) खाद्य सुरक्षा और मानक (स्वास्थ्य पूरक, न्युट्रास्युटिकल्स, विशेष आहार विषयक उपयोग के लिए खाद्य, विशेष चिकित्सीय प्रयोजन के लिए खाद्य, कृत्यकारी खाद्य और नूतन खाद्य) विनियम, 2016

प्राधिकरण ने मसौदा अधिसूचना का यथाप्रस्ताव अनुमोदन किया।

(VII) खाद्य सुरक्षा और मानक (विक्रय प्रतिषेध और निर्बंधन) विनियम : ब्राउन ब्रेड की लेबलिंग

प्राधिकरण ने मसौदा अधिसूचना का यथाप्रस्ताव अनुमोदन किया।

(VIII) विभिन्न किस्मों की ब्रेडों के नाम

प्राधिकरण ने प्रस्तुत प्रस्ताव का सैद्धांतिक रूप में अनुमोदन किया।

(ग) अन्य मुद्दे

(I) साबुत अनाजों का प्रमाणन और लोगो

प्राधिकरण ने प्रस्तुत प्रस्ताव का अनुमोदन किया।

(II) खाद्य सेवन डैटा

प्राधिकरण ने प्रस्तुत प्रस्ताव का अनुमोदन किया।

(III) विश्लेषण पद्धतियाँ - बच्चों के खाद्य पदार्थों और फॉर्मूला पूरकों में पौष्टिकीकारक

प्राधिकरण ने प्रस्तुत प्रस्ताव का अनुमोदन किया।

(IV) नेटस्कोफैन (खाद्य सुरक्षा और अनुप्रयुक्त पोषण के लिए वैज्ञानिक सहयोग नेटवर्क) का क्रियान्वयन

प्राधिकरण ने कार्यसूची की मद पर विचार कर की गई कार्रवाई की अभिपुष्टि की।

(V) सम्मिश्र खाद्य वनस्पति तेल (बीवो)

विशेष आमंत्रिती ने प्रस्ताव किया कि एग्मार्क अनुमोदन प्रक्रिया पहले ही होने के कारण एफ.एस.एस.ए.आई में अलग अनुमोदन प्रक्रिया लागू करने की बजाय अंतरण का सहारा लिया जा सकता है, जिससे एग्मार्क प्रक्रिया को अधिसूचित किया जा सके अथवा उसे एफ.एस.एस.ए.आई से लिंक किया जा सके।

इस संबंध में अध्यक्ष ने कहा कि यह मुद्दा अंतरमंत्रालयी होने के कारण यह अब अंतरमंत्रलयी वैज्ञानिक दल (आईएमएसटी) के कर्तव्याधीन है तथा इस सुझाव को आईएमएसटी को भेजा जा सकता है। प्राधिकरण ने प्रस्तुत प्रस्ताव का अनुमोदन किया।

(घ) मानकों/विनियमों तथा एफ.एस.एस.ए.आई द्वारा जारी निर्देशों का क्रियान्वयन - अभिपुष्टि के लिए

खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 की धारा 16(5) के तहत एफ.एस.एस.ए.आई द्वारा जारी किए गए निर्देशों से संबंधित कार्यसूची की मद 30.3(च), 30.8(क) और 30.8(ख 1-3) पर एक साथ चर्चा की गई तथा इन मदों के अंतर्गत शामिल सभी निर्देशों की समेकित सूची खाद्य प्राधिकरण के समक्ष प्रस्तुत की गई।

प्राधिकरण ने कार्यसूची की मदों पर विचार कर की गई कार्रवाई की अभिपुष्टि की।

(ङ) प्रस्तावित अंतिम खाद्य सुरक्षा और मानक (स्कूली बच्चों के लिए सुरक्षित खाद्य और संतुलित आहार) विनियम, 2020 - अभिपुष्टि के लिए

विशेष आमंत्रिती ने अनुसूची (ठ) के अंतर्गत कार्यसूची के पृष्ठ 87 पर दी गई सारणी के क्रम संख्या (2) के सामने कॉलम (3) में '5. श्रेणी 1 और 3 में न शामिल अन्य खाद्य उत्पाद' स्टेटमेंट शामिल करने का प्रस्ताव किया। तथापि प्राधिकरण को यह स्पष्ट किया गया कि दी गई सूची केवल उदाहरणार्थ है तथा सभी प्रकार के खाद्यों को शामिल करते हुए संपूर्ण नहीं है। अत: प्रस्तावित संशोधन की आवश्यकता नहीं है।

प्राधिकरण ने कार्यसूची की मद पर विचार कर की गई कार्रवाई की अभिपुष्टि की।

(च) खाद्य सुरक्षा आपात कार्रवाई (एफएसईआर) योजना - अनुमोदनार्थ

प्राधिकरण ने कार्यसूची की मद का सिद्धांत रूप में यथाप्रस्ताव अनुमोदन किया।

30.2 खाद्य परीक्षण और निगरानी

(क) द्रुत विश्लेष्णात्मक खाद्य परीक्षण (आरएएफटी) किट/उपस्कर/प8ति - अभिपुष्टि के लिए

प्राधिकरण ने कार्यसूची की मद पर विचार कर की गई कार्रवाई की अभिपुष्टि की।

(ग) दुग्ध उत्पादों की निगरानी - अनुमोदन के लिए

प्राधिकरण ने कार्यसूची की मद का यथाप्रस्ताव अनुमोदन किया।

30.3 खाद्य सुरक्षा अनुपालन

(क) लाइसेंसिंग और पंजीकरण के प्रयोजन के लिए मानकीकृत खाद्य उत्पादों की खाद्य श्रेणी प्रणाली से मैपिंग - अनुमोदन के लिए

प्राधिकरण ने कार्यसूची की मद का इस संशोधन के साथ यथाप्रस्ताव अनुमोदन किया कि कार्यसूची में दिनांक 30 सितंबर को 31 दिसंबर पढ़ा जाए।

(ख) **मौजूदा ऑनलाइन लाइसेंसिंग प्रणाली से खाद्य सुरक्षा अनुपालन प्रणाली (फॉस्कोस) में संक्रमण - अनुमोदन के लिए**

प्राधिकरण ने कार्यसूची की मद का यथाप्रस्ताव अनुमोदन किया। आगे, खाद्य प्राधिकरण को बताया गया कि कुछ राज्यों/संघशासित क्षेत्रों में फॉस्कोस को दिनांक 1 जून, 2020 से लागू किया जा रहा है। ये राज्य/संघशासित क्षेत्र तमिल नाडु, गुजरात, ओडिशा, दिल्ली, मणिपुर, गोआ, चंडीगढ़, लद्दाख, पुदुचेरी हैं। अखिल भारतीय स्तर पर क्रियान्वयन अस्थायी रूप से 15 जून, 2020 से प्रस्तावित है।

(ग) वार्षिक विवरणी (डी1 फॉर्म) केवल ऑनलाइन प्रस्तुत करने के संबंध में - अनुमोदनार्थ

(1) प्राप्त किए जाने वाले नए आँकड़े के फोरमैट तथा तत्वों के बारे में कई विचार आए। सामान्यत: यह फीडबैक ऐसे डैटा फील्डों के संग्रहण का कारण समझने के लिए तथा एकदम सही मानों की जगह औसत/अनुमानित अथवा उपलब्ध मान देने की अनुमित देना था। नई विवरणी के बारे में स्पष्टीकरण दिया गया तथा यह भी बताया गया कि 2019-20 के लिए नए फोरमैट को अनिवार्य नहीं बनाया जाएगा। तथापि, मंत्रालय को भेजे गए प्रस्ताव को ध्यान में रखते हुए नीतिगत निर्णयों तथा अनुपालनगत जाँच के लिए डैटा लेने हेतु नई विवरणियों का ऑनलाइन रूप पुन: तैयार किया गया। अनुभव के बाद और आगे के संशोधन किए जा सकते हैं तथा अंत में उसे अधिसूचित किया जा सकता है। ऑनलाइन विवरणियों में औसत अथवा अनुमानित मानों के लिए उपयुक्त संकेत उपलब्ध कराए जाएँगे।

(2) इस बात पर सहमति हुई कि इस फोरमैट का प्रयोग 2019-20 की ऑनलाइन विवरणी हेतु किया जाएगा, परंतु यह अनिवार्य नहीं होगा। खाद्य कारोबारी अपनी विवरणियाँ मौजूदा रीति के अनुसार पुराने फोरमैट में लिखित में दे सकते हैं।

इस चर्चा के साथ प्राधिकरण ने कार्यसूची की मद का यथाप्रस्ताव अनुमोदन किया।

(घ) खाद्य सुरक्षा और मानक (स्वास्थ्य अनुपूरक, न्युट्रास्युटिकल्स, विशेष आहार विषयक उपयोग के लिए खाद्य, विशेष चिकित्सीय प्रयोजन के लिए खाद्य, कृत्यकारी खाद्य और नूतन खाद्य) विनियम 2016 में शामिल उत्पादों के लिए केंद्रीय लाइसेंसिंग-अनुमोदनार्थ

प्राधिकरण ने प्रस्तुत प्रस्ताव का अनुमोदन किया।

(ङ) खाद्य सुरक्षा स्मार्ट जैकेट - अध्ययन और सूचना के लिए।

प्राधिकरण ने प्रस्तुत प्रस्ताव का अनुमोदन किया।

(च) खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 की धारा 16(5) के तहत जारी किए गए निर्देश - अभिपुष्टि के लिए

कार्यसूची की इस मद को बैठक के दौरान प्रस्तुत संशोधित मद से बदल दिया गया, जिसे कार्यसूची की मद संख्या 30.1(घ) के साथ मिलाकर उस पर विचार किया गया।

30.4 खाद्य सुरक्षा तथा अनुप्रयुक्त पोषण पर अनुसंधान

खाद्य गुणता तथा सुरक्षा पर अनुसंधान तथा विकास/सर्वे की मौजूदा योजना का नेटस्कोफैन के साथ सम्मिलन तथा योजना के मार्गदर्शी सिद्धांतों का अनुमोदन - अनुमोदनार्थ

प्राधिकरण ने प्रस्तुत प्रस्ताव का अनुमोदन किया।

30.5 खाद्य आयात

सशक्त खाद्य आयात निर्मुक्ति प्रणाली की स्थापना - सूचनार्थ।

प्राधिकरण ने सूचनार्थ परिचालित कार्यसूची की मद को नोट किया।

30.6 **शासन और प्रशासन**

(क) एफ.एस.एस.ए.आई के नियमित कर्मचारियों के लिए गृह निर्माण भत्ता नियम, 2017 का क्रियान्वयन

प्राधिकरण ने सूचनार्थ परिचालित कार्यसूची की मद को नोट किया।

(ख) विज्ञापन संख्या डीआर-03/2019 द्वारा विज्ञापित खाद्य विश्लेषक के पद की चयन प्रक्रिया पूरी होना

प्राधिकरण ने सूचनार्थ परिचालित कार्यसूची की मद को नोट किया।

(ग) भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण के कर्मचारियों के लिए वार्षिक कार्यकारिता प्रबंधन प्रणाली (पीएमएस) की शुरुआत

प्राधिकरण ने सूचनार्थ परिचालित कार्यसूची की मद को नोट किया।

30.7 खाद्य मानक/विनियम

मांस तथा दुग्ध उत्पादी पशुओं के लिए आशयित वाणिज्यिक आहारों/आहार सामग्रियों के संगत बीआईएस मानकों के प्रति अनुरूपता के संबंध में खाद्य सुरक्षा और मानक (खाद्य उत्पाद मानक और खाद्य सहयोजय) विनियम, 2011 से संबंधित मसौदा अधिसूचना का अनुमोदन

प्रमुख (विनियम) ने कार्यसूची की मद प्रस्तुत करते समय कार्यसूची के पृष्ठ 299 पर लिखित ''कुक्कुट को छोड़कर'' शब्दों के बाद टिप्पणी (ग) में ''सूअर'' शब्द शामिल करने का सुझाव दिया।

इस संशोधन के साथ प्राधिकरण ने मसौदा अधिसूचना का अनुमोदन किया।

30.8 (क) आदेश/निर्णय - अभिपुष्टि के लिए, सूचना के लिए

(ख) 1. पैकेजबंद पेय जल/खनिज जल के आयात से पहले उसके बीआईएस प्रमाणन की अपेक्षा संबंधी दिनांक 27 नवंबर, 2019 की परामर्शिका

(ख) 2. प्याजों की आयातित खेपों की निर्मुक्ति

(ग) 3. प्राधिकृत अधिकारियों की अधिसूचना

इन निर्देशों और आदेशों को कार्यसूची की मद संख्या 30.1(घ) के साथ मिला दिया गया है।

प्राधिकरण ने कार्यसूची की मद पर विचार कर की गई कार्रवाई की अभिपुष्टि की।

अध्यक्ष की अनुमति से अन्य मदें

कार्यसूची की पूरक मद संख्या 30.4(1)

धन वापसी नीति

प्राधिकरण ने प्रस्तुत प्रस्ताव का अनुमोदन किया।

कार्यसूची की पूरक मद संख्या 30.4(2)

लाइसेंस तथा पंजीकरणों की नवीकरण प्रक्रिया में संशोधन

कार्यसूची की इस मद को वापस ले लिया गया।

कार्यसूची की पूरक मद संख्या 30.4(3)

डैटा शेयरिंग संबंधी मार्गदर्शी सिद्धांत

प्राधिकरण ने कार्यसूची की मद पर विचार कर अध्यक्ष को किसी प्रकार्यात्मक मुद्दे तथा उसके फोरमैट के बारे में डैटा शेयरिंग नीति संबंधी आदेशों से संबंधित निर्णय लेने के लिए प्राधिकृत किया।

कार्यसूची की पूरक मद संख्या 30.4(4)

(1) वित्तीय वर्ष 2019-20 के वार्षिक लेखे

प्राधिकरण ने कार्यसूची की मद पर विचार कर अंतिमित लेखों को सीएजी को प्रस्तुत करने से पहले खाद्य प्राधिकरण की तरफ से अनुमोदित करने के लिए प्राधिकृत किया।

(2) वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए अनंतिम बजट

प्राधिकरण ने सूचनार्थ परिचालित कार्यसूची की मद को नोट किया।

कार्यसूची की पूरक मद संख्या 30.4(5)

नवयुग मार्किट में किराये के परिसर की गाजियाबाद विकास प्राधिकरण को सुपुर्दगी

प्राधिकरण ने प्रस्तुत प्रस्ताव का अनुमोदन किया

कार्यसूची की पूरक मद संख्या 30.4(6)

शहद में एलसी-एमएस/एमएस पद्धति से राइस सिरप मार्कर(एसएमआर) के अपमिश्रण के लिए विशिष्ट मार्कर के रूप में 2-एसिटिलफ्यूरान-3-ग्लुकोपायरेनोसाइड (2-एएफजीपी):3-0-α-डी-ग्लुकोसिल आइसोमाल्टोल ज्ञात करने की पद्धति

प्राधिकरण ने प्रस्तुत प्रस्ताव का अनुमोदन किया।

कार्यसूची की पूरक मद संख्या 30.4(7)

(क) द्रुत विश्लेषणात्मक खाद्य परीक्षण (राफ्ट) किट/उपस्कर/पद्धति के अनुमोदन हेतु संशोधित दिशा-निर्देश

प्राधिकरण ने प्रस्तुत प्रस्ताव का अनुमोदन किया।

कार्यसूची की पूरक मद संख्या 30.4(8)

खाद्य सुरक्षा और मानक (खाद्य सुरक्षा संपरीक्षण) विनियम, 2018 के अंतर्गत एजेंसियों को संस्तुत करने तथा उन्हें मान्यता देने के लिए जाँच समिति का पुनर्गठन

प्राधिकरण ने प्रस्तुत प्रस्ताव का अनुमोदन किया।

बैठक सभी भागीदारों को धन्यवाद सहित समाप्त हुई।

हस्ता/-	हस्ता/-
मुख्य कार्यकारी अधिकारी	अध्यक्ष

उपस्थित सदस्यों की सूची

क. **प्राधिकरण के सदस्य**

1. सुश्री रीता तेवतिया, अध्यक्ष, एफ.एस.एस.ए.आई;
2. डॉ. जी.एस.जी अय्यंगार, सदस्य सचिव;
3. श्रीमती रीमा प्रकाश, संयुक्त सचिव खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय
4. श्री आशीष गवई, उप सचिव, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, नई दिल्ली

ख. विशेष आमंत्रिती

1. सुश्री पर्णा दासगुप्ता, फिक्की;
2. सुश्री मीतू कपूर, कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री (सीआईआई);
3. सुश्री श्रेया पांडेय, ऑल इंडिया फूड प्रोसेसर्ज एशोसिएशन (एआईएफपीए);

ग. एफ.एस.एस.ए.आई के अधिकारी

1. डॉ. एन. भास्कर, सलाहकार (मानक)
2. श्री कुमार अनिल, सलाहकार (क्यूए)
3. श्री राजीव जैन, कार्यकारी निदेशक (एचआर)
4. डॉ. शोभित जैन, कार्यकारी निदेशक (आरएस)
5. डॉ. रूबीना शाहीन, निदेशक (मानक)
6. डॉ. अमित शर्मा, निदेशक (आयात)
7. सुश्री इनोशी जोशी, निदेशक (एसबीसीडी)
8. श्री सानु जैकब, निदेशक (प्रयोगशाला प्रशिक्षण और निगरानी)
9. श्री शरद अग्रवाल, निदेशक (प्रशिक्षण)
10. श्री योगेश कुमार, निदेशक
11. श्री राज सिंह, प्रमुख (सामान्य प्रशासन)
12. श्री सुनील बख्शी, प्रमुख (कोडेक्स/विनियम)
13. श्री ए.के. चाणना, प्रमुख, सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी)
14. श्री आर. के मित्तल, प्रमुख (आरसीडी)
15. श्री पुष्प वनम्, संयुक्त निदेशक (मानक)
16. श्री पी. कार्तिकेयन, उप निदेशक (विनियम/कोडेक्स)
17. श्री विकास तलवार, उप निदेशक (विनियमात्मक अनुपालन)

18. डॉ. कविता रामसामी, वैज्ञानिक IV(3) (मानक)
19. डॉ. एस. सी. खुराना, परामर्शदाता
20. सुश्री कृति चुघ, सहायक निदेशक (मानक)
21. सुश्री रत्ना श्रीवास्तव, वैज्ञानिक iv(I) (विनियम)
22. सुश्री कणिका अग्रवाल, तकनीकी अधिकारी (मानक)
23. मनप्रीत, तकनीकी अधिकारी (मानक)
24. सुश्री रुचिका शर्मा, प्रमुख - डिजिटल मीडिया, जन संपर्क एवं कार्पोरेट एंगेजमेंट

0-0-0-0-0

अनुबंध

खाद्य प्राधिकरण की) 30वीं बैठक29.05.2020(

मुख्य कार्यकारी अधिकारी की विस्तृत रिपोर्ट (जैसाकि पटल पर रखी गई) -

1. एफएसएसएआई के नियमित क्रियाकलापों पर विचारविमर्श करने से पहले-, मैं कोविड महामारी के संदर्भ में किए गए विशेष प्रयासों के बारे में प्राधिकरण को अवगत कराना चाहूँगा, जो संक्षिप्त में इस प्रकार हैं :

1.1) स्थिति का संज्ञान लेते हुए और कोरोना विषाणुओं के किसी खाद्यजन्य संक्रमण के बारे में भ्रांतियों का खण्डन करने के लिए, एफएसएसएआई ने विशेषज्ञों की एक समिति का गठन करने के लिए शीघ्रतापूर्वक कार्रवाई की और इसकी रिपोर्ट के आधार पर 2020 मार्च 05को प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से स्थिति को स्पष्ट किया गया था कि कोरोना विषाणु के खाद्य से फैलने का कोई प्रमाण नहीं मिला है।

1.2) एफएसएसएआई नियमित रुप से स्थिति की समीक्षा कर रहा है। जब आंदोलन एक महत्वपूर्ण मामला था, हमने आयात और परीक्षण को आवश्यक सेवाएं घोषित कर दिया था। हमने यह सुनिश्चित किया था कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र और कोलकाता में राष्ट्रीय खाद्य प्रयोगशालाएं को कार्यात्मक बनाया जाए। एफएसएसएआई की प्रत्यायित निजी प्रयोगशालाओं को भी लॉकडाउन अवधि में कार्य करने के लिए सुविधाएं प्रदान की गईं। शीघ्रतापूर्वक आयात निकासी सुनिश्चित की गई।

1.3) लॉजिस्टिक आपूर्ति श्रृंखला में, खाद्य कारोबारियों को सहयोग देने के लिए, एफएसएसएआई ने विनिर्माताओं से भिन्न एफबीओ को खाद्य लाइसेंसिंग और पंजीकरण प्रणालीपर (एफएलआरएस) एक आवेदन के आधार पर अस्थायी रुप से अपने कारोबार संचालन करने के लिए अनुमति प्रदान की। इसमें और अधिक नवीनता लाने के लिए, हमने ईनिरीक्षण भी किए। नवीकरण और विवरणी जैसे - विभिन्न अनुपालन अपेक्षाओं को आस्थगित रखा गया।

1.4) हम राज्यों के साथ मिलजुल कर कार्य कर रहे हैं। प्रारंभ में, जरुरतमंदों के लिए खाद्य और आपूर्ति का प्रावधान करने के लिए राज्यों को समर्थ बनाने के लिए सूचना शेयर करने के लिए ध्यान केन्द्रित किया गया था। अधिकतर राज्यों में खाद्य सुरक्षा अधिकारी लॉकडाउन सुनिश्चित करने से संबंधित प्रवर्तन गतिविधियों, सर्वेक्षणोंनिगरानी/, कार्य कर रहे व्यावसायिकसमुदाय रसोईघरों निरीक्षणों/, खाद्य आपूर्ति के लिए समन्वय में नियोजित होते हुए कोविड डयूटी निभाने में अग्रणी रहे हैं।

1.5) एफएसएसएआई ने कोविड महामारी के लिए खाद्य प्रहस्तकों के लिए दिशानिर्देश भी जारी - किए हैं।

2. विनियम/खाद्य मानक

प्राधिकरण की नवम्बर 6,को आयोजित पिछली बैठक के पश्चात वैज्ञानिक समिति 2019 , वैज्ञानिक पैनल और मानक निर्धारण से संबंधित कार्य

इस अवधि के दौरान वैज्ञानिक पैनलों की कई बैठकें आयोजित हुईं और खाद्य सुरक्षा के मामलों पर मानकों का मसौदा तैयार करने और खाद्य सुझाव देने में महत्वपूर्ण योगदान किया। इस प्रकार की गई विभिन्न सिफारिशों पर वैज्ञानिक समिति में विचारविमर्श किया गया-, जिनमें सभी वैज्ञानिक पैनलों के प्रतिनिधि और विख्यात वैज्ञानिकों ने भाग लिया था जिसका विवरण प्राधिकरण के निर्णय के लिए बैठक में रखा गया है।

2. 1 **वैज्ञानिक समिति बैठक)1:(** वैज्ञानिक समिति की चौतिसवीं)34वीं27 बैठक (.11.को हुई 2019 थी।

2.) वैज्ञानिक पैनल बैठकें 234इस अवधि के दौरान निम्नलिखित वैज्ञानिक पैनलों की बैठकें :(: आयोजित हुई

I24 पैनल की चौथी बैठक :प्रतिजैविक अवशिष्ट से संबंधित वैज्ञानिक पैनल (.02.2020 को हुई थी।

2) जैविक खतरों से संबंधित वैज्ञानिक पैनल27 पैनल की उन्तीसवीं बैठक :.02.को आयोजित हुई 2020 थी।

3) अनाज, दालों और फलियों और उनके उत्पादों तेइसवीं :से संबंधित वैज्ञानिक पैनल (बैकरी सहित) 22 और चौबिस वीं बैठक.11.28 और 2019.02.को आयोजित हुई थी। 2020

4) खाद्य श्रृंखला में संदूषण से संबंधित वैज्ञानिक पैनल17 तेइसवीं बैठक :.12.को आयोजित हुई 2019 थी।

5) **खाद्य पदार्थों के संपर्क में आने वाले खाद्य योज्यों, सुवास, प्रसंस्करण सहायकों और सामग्रियों से संबंधित वैज्ञानिक पैनल:** पैनल की तिरतालिस और चव्वालिसवीं बैठक क्रमश :2.11.2019 और 18.02.को आयोजित हुई थी। 2020

6) फलों और सब्जियों और उनके उत्पादों सूखे मेवे और) गिरियोंपैनल : से संबंधित वैज्ञानिक पैनल (13 की अट्ठारवीं और उन्नीसवीं बैठक क्रमश.11.17 और 2019.02. को हुई थी। 2020

7) कार्यात्मक खाद्य, न्यूट्रास्यूटिकल्स, आहारीय उत्पाद और अन्य इसी प्रकार के उत्पादों से संबंधित वैज्ञानिक पैनल13 पैनल की दो बैठकें :.11.18 और 2019.02. को हुई थी। 2020

8) दुग्ध और दुग्ध उत्पादों से संबंधित वैज्ञानिक पैनल25 तेरहवीं बैठक :.02.को आयोजित हुई 2020 थी।

9) मांस और मांस उत्पाद जिसमें कुक्कुट भी सम्मिलित है, से संबंधित वैज्ञानिक पैनल तेरहवीं बैठक : 03.03.को आयोजित हुई थी। 2020

10) तेल और वसा से संबंधित वैज्ञानिक पैनल पैनल की अट्ठारवीं और उन्नीसवीं बैठक क्रमश : 10.12.25 और 2019.02.को हुई थी। 2020

11) कीटनाशक अवशिष्ट से संबंधित वैज्ञानिक पैनल पैनल की साठवीं और इक्सठवीं बैठक क्रमश : 11.12.20 और 2019.02. को आयोजित हुई थीं। 2020

12) जल से संबंधित वैज्ञानिक (अल्कोहलीय-अल्कोहलीय गैर) एवं बैवरेजिज (सुवासित जल सहित) 16 पैनल की अट्ठारवीं और उन्नीसवीं बैठक क्रमश :पैनल.11.25 और 2019..022020 को हुई थी।

13) मसालों और पाक्य शाक से संबंधित वैज्ञानिक पैनल पैनल की साठवीं और इक्सठवीं बैठक क्रमश : 16.12.20 और 2019.04. को आयोजित हुई थीं। 2020

14) मिठाई, मिष्ठान्न, मधुरकों, शर्करा और मधु से संबंधित वैज्ञानिक पैनलपैनल की चौदहवीं और : पंद्रहवीं बैठक क्रमश 18.12.22 और 2019.04.को आयोजित हुई थी। 2020

15) पैकेजिंग से संबंधित वैज्ञानिक पैनल01 यह एक नया पैनल है जो :.01.को गठित किया 2020 14 गया है। इसकी पहली बैठक.02. को आयोजित हुई थी। 2020

16) आनुवंशिक रुप से संशोधित खाद्य से संबंधित वैज्ञानिक पैनलप :ैनल की उन्नीसवीं बैठक 26.02.को आयोजित हुई थी। 2020

17) मछली और मछली उत्पादों से संबंधित वैज्ञानिक पैनलपैनल की अट्ठारवीं और उन्नीसवीं बैठक : 01 क्रमश.11.06 और 2019.03.को हुई थी। 2020

18) अल्कोहलीय बेवरीजिज से संबंधित वैज्ञानिक पैनल यह पैनल नया बनाया :गया है जो 01.01. 2020 19 को गठित किया गया था। इसकी पहली बैठक.02.को आयोजित हुई थी। 2020

19) पोषण और फोर्टिफिकेशन से संबंधित वैज्ञानिक पैनल14 पैनल की बारहवीं बैठक :.11.को 2019 आयोजित हुई थी।

20) लेबलिंग और दावेपैनल की बत :विज्ञापन से संबंधित वैज्ञानिक पैनल/्तीसवीं बैठक 04.03. 2020 को आयोजित हुई थी।

21) नमूना लेने और विश्लेषण की पद्धति से संबंधित वैज्ञानिक पैनल27वीं 26वीं और पैनल की : :बैठक क्रमश05.11.2019 और अप्रैल 24 - 23, को हुई थी। 2020

3. खाद्य परीक्षण और निगरानी

3.1 खाद्य सुरक्षा पारिस्थितिकी का सुदृढ़ीकरण

3.1. राज्य खाद्य प्रयोगशालाओं का सुदृढ़ीकरण 1

राज्य खाद्य परीक्षण प्रयोगशालाओं की स्थापना संघ राज्य /सुदृढ़ीकरण के लिए विभिन्न राज्यों / 50 क्षेत्रों को.निर्मुक्त किया गया है। इसके साथ ही/करोड़ रुपये के और अनुदान स्वीकृत 79, प्रयोगशालाओं के उन्नयन के लिए स्वीकृत262 निर्मुक्त अनुदान की कुल राशि/.करोड़ रुपये 19 312 से बढ़कर.करोड़ रुपये हो गई 98, जिसके अंतर्गत राज्य 39 संघ राज्य क्षेत्रों की/राज्यों 29 खाद्य परीक्षण प्रयोगशालाएंआती हैं।

3 .1.एफएसडब्ल) फूड सेफ्टी ऑन व्हील्स 2यू(

संघ राज्य क्षेत्रों /राज्यों 32 सुपुर्द की गईं जिससे/और एफएसडब्ल्यू की मंजूरी प्रदान की गई 34 हो गई। 83 से बढ़कर 54 सुपुर्द की गई कुल एफएसडब्ल्यू की संख्या / को मंजूर की गई

3 . क्षमता निर्माण कार्यक्रम 2

एफएसएसएआई ने राज्य खाद्य परीक्षण प्रयोगशालाओं, एफएसएसएआई द्वारा अधिसूचित प्रयोगशालाओं और अन्य खाद्य परीक्षण प्रयोगशालाओं के खाद्य विश्लेषकों और अन्य वैज्ञानिकअभिकरणों के /संस्थानों/तकनीकी कार्मिकों के लिए राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों/ सहयोग से भारत में विभिन्न स्थानों पर विभिन्न विशेषीकृत प्रशिक्षण कार्यक्रम और अच्छी खाद्य प्रयोगशाला पद्धतियों के संबंध में प्रशिक्षण का आयोजन किया जिनमें (जीएफएलपी) कार्मिकों को प्रशिक्षित किया गया। प्राधिकरण की गत बैठक के पश्चात से ऐसे कार्यक्रमों 200 -के आयोजन के संबंध में विवरण अनुबंध1 में दिया गया है।

3. 3 राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन के कारण-, एफएसएसएआई ने तक 2020 मई 18 से 2020 अप्रैल 5 ऑनलाइन प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए 144 कुल, जिसमें राज्योंसंघ राज्य क्षेत्रों और / एफएसएसएआई द्वारा अधिसूचित प्रयोगशाला के सभी प्रयोगशाला कार्मिको, खाद्य कारोबारियों, उपभोक्ताओं आदि को भाग लेने की अनुमति दी गई थी। इन ऑनलाइन प्रशिक्षण कार्यक्रमों में कुल 34, व्यक्तियों ने भाग लिया था। 703

4. खाद्य सुरक्षा अनुपालन

4. 1 एफएसएसमें संशोधन का 2011 विनियम (खाद्य कारोबार का अनुज्ञापन और पंजीकरण) 1000 को रुपये 2020 मार्च 27 प्रस्ताव।/- के संशोधन शुल्क को कम करने से संबंधित प्रावधान और परीक्षण, निरीक्षण, लेखापरीक्षा, खाद्य सुरक्षा पर्यवेक्षक और सरलीकरणकर्ता के लिए योजना से संबंधित प्रावधानों को प्रचालनाकृत बनाया गया।

4. 2 लाइसेंसिंग और पंजीकरण के प्रयोजन के लिए खाद्य श्रेणी प्रणाली के साथ मानकीकृत खाद्य उत्पादों की मैपिंग

यह विनिर्माताओं को लाइसेंस प्रदान करने, टेक्सट बाक्स एप्रोच से पूर्व सूचीबद्ध मानकीकृत उत्पादों से सेलेक्शन तक परिवर्तन से संबंधित पद्धति में आदर्श परिवर्तन होगा। यह मामला 29वीं खाद्य प्राधिकरण की बैठक में अनुमोदित किया गया था और अंतिम रुप से अनुमोदन के लिए इस बैठक में लाया जा रहा है। यह फोस्कोस को प्रारंभ करने के साथ इसकी शुरुआत की जाएगी।

4. फोस्कोस प्रारंभ करना 3

बहुत ही शीघ्र, खाद्य सुरक्षा और अनुपालन प्रणाली संघ राज्य क्षेत्रों में /विभिन्न राज्यों (फोस्कोस) का (एफएलआरएस) चरणबद्ध तरीके से विद्यमान ऑनलाइन खाद्य लाइसेंसिंग और पंजीकरण प्रणाली स्थान ले लेगी। फोस्कोस उन्न्त साफ्टवेयर और हार्डवेयर के साथ सर्वर आधारित कलाउड पर कार्य करता है और विद्यमान एफएलआरएस पोर्टल की धीमी गति के सूचित किए गए मामलों का समाधान करेगा। फोस्कोस की परिकल्पना खाद्य सुरक्षा के लिए वन स्टाप-"अनुपालन पोट्रल" होगा और भविष्य में कार्यात्मक जरुरतों के लिए और अधिक माड्यूल के साथ विस्तार किया जाएगा जैसेकि उन्नत एमआईएस, लेखा परीक्षा माड्यूल, इनफोलेट से सम्बद्धता, स्वच्छता संबंधी रेटिंग आदि। फोस्कोस में आवश्यक रुप से एफएलआरएस की भांति ही प्रवाह है ताकि उपयोक्ता को फोस्कोस का प्रयोग करने में सुविधा हो। मुख्य परिवर्तन विनिर्माताओं के लिए लाइसेंसिंग की पद्धति है जो अब मानकीकृत उत्पाद सूची पर आधारित है। अनिवार्य दस्तावेजों को युक्तिसंगत बनाया गया है और बहुत सी कागज आधारित घोषणाओं का स्थान ऑनलाइन घोषणाओं ने लिया है। केन्द्र बिंदू में उद्देश्य यह है कि खाद्य कारोबारियों के लिए कारोबार करना आसान बनाया जाए।

4.प्ररुप डी1) केवल ऑनलाइन मोड के माध्यम से वार्षिक विवरणियों 4) का प्रस्तुतीकरण

कारोबार को करना आसान बनाने को प्रोत्साहित करने के लिए, एफएसएसएआई चित्तीय वर्ष 2019- 20 प्ररुपडी1) से वार्षिक विवरणी) का ऑनलाइन प्रस्तुतीकरण का प्रावधान उपलब्ध कराया जा रहा है। यह फोस्कोस के साथ उपलब्ध होगा और मानवीय मोड में विवरणियों को प्रस्तुत करने और प्राप्ति के साक्ष्य ट्रेक करने की आवश्यकता समाप्त हो जाएगी।

4. खाद्य सुरक्षा स्मार्ट जैकेट 5

पूरे देश में सभी खाद्य सुरक्षा अधिकारियों के लिए विशेषज्ञता की पहचान चिह्नित करने के लिए खाद्य सुरक्षा स्मार्ट जैकेट का अभिकल्पन किया गया है। इससे खाद्य सुरक्षा पारिस्थितिकी तंत्र में कार्य कुशलता, विशेषज्ञता और पारदर्शिता में इजाफा होगा। रुपये प्रति जैकेट की दर से खाद्य 519 सुरक्षा स्मार्ट जैकेट की आपूर्ति के लिए निविदाओं को अंतिम रुप दिया गया है जिनकी मैसर्स विनटैक्स टाइज मैन्यूफेविशिष्टियां /द्वारा आपूर्ति की जाएगी। जैकेट का अंतिम नमूना कं0 .

प्रक्रियाधीन है और वर्क आर्डर बहुत ही जल्दी से दिया जाएगा। यह सुनिश्चित किया गया है कि अगले महीने से इसके डिस्पेच का कार्य शुरु हो जाए।

4.क्रिया:संघ राज्य क्षेत्र अंत/राज्य 6

वर्ष 2019-के दौरान 20,संघ राज्य क्षेत्रों ने वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से /राज्यों 25 संघ राज्य क्षेत्रों का दौरा किया और मुख/राज्यों 11 क्रिया की। अध्यक्ष महोदया ने:अंतय कार्यकारी अधिकारी, एफएसएसएआई ने संघ राज्य क्षेत्रों का दौरा किया। सभी क्षेत्रीय कार्यालयों के साथ /राज्यों 5 संशोधित राज्य खाद्य सम्मेलन आयोजित किए गए।

4. लेखा परीक्षा 7

पूरे भारत में केन्द्रीय300 लगभग) राज्य लाइसेंस प्राप्त वध शालाओं/) की लेखा परीक्षा की गई। छोटे :बड़े राज्यों में मिष्ठान्न की दुकानों और मांस की दुकानों की क्रमश/20/50 लेखा परीक्षा करना प्रारंभ किया गया। प्रमुख ईकामर्स मंचों की डेस्कटॉप लेखा परीक्षा करने का भी प्रस्ताव किया गया है। -की जाती है कि विनियम के हस्तक्षेप के बिना अनुपालन में वृद्धि होगी।

4.एफएसएसएआई नियमित रुप से खाद्य कारोबारियों   8, राज्यों, खाद्य और पोषण आदि के विशेषज्ञों के साथ ऑनलाइन विचारविमर्श करता रहता- है। हाल ही में, खाद्य प्राधिकरण ने मई 12 विमर्श किया। कारोबारियों के -को खाद्य उद्योग के शीर्ष व्यवसायियों के साथ ऑनलाइन विचार 2020 विमर्श में डिब्बाबंद खाद्य की कंपनियों-साथ विचार, खुदरा श्रृंखलाओं, क्यूएसआर और ईकामर्स मंच -से अधिक मुख्य कार्य 50 केकारी अधिकारियों, प्रबंध निदेशकों और वरिष्ठ व्यवसायियों ने भाग लिया था। अध्यक्ष, एफएसएसएआई सुश्री रीता तेवतिया और डाअय्यंगर .जी.एस.जी ., मुख्य कार्यकारी अधिकारी, एफएसएसएआई के हुए इस उच्च स्तरीय   विचारविमर्श में विभिन्न -उद्योग एसोसिएशनों के प्रतिनिधियों ने भी भाग लिया था।

इस समय खाद्य उद्योग बहुत सी चुनौतियों का सामना कर रहा है। ये चुनौतियां अग्रिम पंक्ति की सेवाओं जैसे पुलिस और चिकित्सा स्टाफ की चुनौतियों के समान हैं। इसलिए, इस उच्च स्तरीय विचार विमर्श से खाद्य उद्योग द्वारा उठाई गई चिंताओं और चुनौतियों में से अधिकतर का समाधान करने में मदद मिली। पारस्परिक लक्ष्य कामगरों, उपभोक्ताओं और खाद्य आपूर्ति श्रृंखला में शामिल व्यक्तियों के लिए कोविड-19 के जोखिम को न्यूनतम करते हुए खाद्य आपूर्ति बेरोकटोक सुनिश्चित करना रहा।

4.को आयोजित हुई थी। इसमें बड़ी संख्या 2020 मई 22 28वीं बैठक केन्द्रीय सलाहकार समिति की 9 में राज्य खाद्य सुरक्षा आयुक्तों, मंत्रालय के अधिकारियों, सीएसी के सदस्यों ने भाग लिया था। कोरोना महामारी के चलते खाद्य सुरक्षा विभाग और खाद्य उद्योग द्वारा सामना की जा रही चुनौतियां प्रमुख कार्यसूची थी। खाद्य सुरक्षा कर्मियों के लिए प्रमुख उद्देश्य और प्राथमिकताओं के बारे में विस्तार

से अवगत कराया गया जो कि तीन स्तंभों पर आधारित है - खाद्य आपूर्ति श्रृंखलाओं की सुरक्षा और और एकीकरण का सुनिश्चय, खाद्य सुरक्षा कर्मियों और खाद्य प्रहस्तकों की सुरक्षा सुनिश्चित करना और कारोबार करना आसान बनाना का संवर्धन करना।

5. खाद्य आयात

5. :आईईएम और हाइपोलरजेनिक अवस्थाओं के लिए विशिष्ट खाद्यों के आयात के बारे में निर्देश 1 30.11तक आईईएम और हाइपोलरजेनिक अवस्थाओं के लिए विशिष्ट खाद्यों के आयात की 2020. अनुमति देने के लिए निर्देश जारी किए गए हैं।

5. मिनरल जल के आयात से पहले बीआईएस प्रमाणन की आवश्यकता के संबंध में / पैकेज्ड पेय जल 2 -1 परामर्शिता संख्या : का परामर्शिता 2019 नवम्बर 271800/इम्पोर्ट्स/एफएसएसएआई/2019 दिनांक 27.11.विक्रय) हितधारियों को सूचित किया गया है कि खाद्य सुरक्षा और मानक/द्वारा आयातकों 2019 विनियम (प्रतिषेध और निर्बंधन, 2011 के विनियम 2.3.14(17) और)18के अनुसार (, "कोई व्यक्ति भारतीय मानक संस्था प्रमाणन चिह्न के अधीन के सिवाय पैकेजबंद पेय जल और खनिज जल का विनिर्माण, विक्रय या विक्रय के लिए प्रदर्शन नहीं करेगा।"

इसके अलावा, सभी प्राधिकृत अधिकारियों को ये निदेश दिए गए हैं कि वे आयातित पैकेजबंद पेय जल और खनिज जल बिना बीआईएस प्रमाणन और अन्य एफएसएसएआई अपेक्षाओं के बिना संबंधित प्रवेश के स्थानों के माध्यम से निकासी नहीं की जाएगी।

5.प्याज के आयातित प्रेषणों की निकासी 3

आयातित प्याज के बारे में आदेश संख्या 1-1771/एफएसएसएआई/इम्पोर्ट/2018 दिनांक 04.12. 2019 (आयात) द्वारा संबंधित प्राधिकृत अधिकारियों को एफएसएसविनियम,में 13 के प्ररुप 2017 घोषणा के संबंध में घोषणा करने और प्रस्तुत करने के लिए/वचनआयातकों को निदेश दिए गए थे और प्राधिकृत अधिकारियों को बिना किसी विलम्ब के उसी दिन ही दृश्य निरीक्षण करनेके लिए निदेश दिए गए थे और संतोषजनक दृश्य निरीक्षण के उपरांत नमूने लेगा और प्रयोगशाला की विश्लेषण रिपोर्ट की प्रतीक्षा किए बिना अनन्तिम अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी करेगा। प्रयोगशाला से (एनओसी-पी) विश्लेषण रिपोर्ट प्राप्त होने पर, यदि उत्पाद एफएसएसएआई की विशिष्टियों के अनुरुप हो, प्राधिकृत अधिकारियों को अंतिम अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी करने के लिए निदेश दिए गए थे।

उपर्युक्त आदेश के सिलसिले में, आदेश संख्या 1-1771/एफएसएसएआई/इम्पोर्ट/2018 दिनांक 01.01.द्वारा प्राधिकृत अधिकारियों को आयातित प्याज के प्रेषणों की सुविधापूर्ण और शीघ्र 2020 निकासी के लिए निदेश दिए गए थे।

5.:प्राधिकृत अधिकारियों की अधिसूचना 4

आयातित खाद्य निकासी प्रक्रिया के लिए एफएसएस अधिनियम की धारा 47(5) के अंतर्गत डाशीतल . गुप्ता के स्थान पर मुम्बई समुद्री और विमान पत्तन के कार्यक्षेत्र के लिए श्री सुकांत चौधरी, उप निदेशक को आगे और आदेश होने तक प्राधिकृत अधिकारी के रुप में अधिसूचित करते हुए आदेश संख्या 1156/एफएसएसएआई/इम्पोर्ट/2014पार्ट1)) दिनांक 17.12. जारी किया गया था। 19

6. शासन और प्रशासन

6. कार्यालय और प्रयोगशाला स्थान के लिए निरन्तर बढ़ती मांग को पूरा करने के उद्देश्य 1से राष्ट्रीय खाद्य प्रयोगशाला (एनएफएल), गाजियाबाद में एक बहुमंजिला भवन के निर्माण किया जा रहा है - वर्ग फुट का स्थान सृजित होगा। इस परियोजना के कार्यान्वयन के लिए इस संबंध में 45000 जिससे, एनबीसीसी इंडिया लिमिटिड को परियोजना प्रबंधन परामर्श (पीएमसी)का कार्य सौंपा गया है। यह कार्य पहले ही प्रारंभ कर दिया गया है।

6.आधुनिक उपकरणों के साथ पीपीपी माडल के आधार पर गाजियाबाद स्थित - नवीनतम अल्ट्रा 2 एनएफएल प्रयोगशाला को गत वर्ष बनाया गया है और माननीय केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्री, भारत सरकार द्वारा उद्घाटन किया गया था।

6.लाख रुपये प्रति मास के किराया प्रभार पर 15 एफएसएसएआई का उत्तर क्षेत्रीय कार्यालय लगभग 3 लोधी रोड में अवस्थित है। दूसरे तल पर, एनएफएल, इंदिरापुरम, गाजियाबाद, में पर्याप्त कार्यालय स्थान बन जाने के पश्चात एनआरओ को फरवरी में नई 2020 परिसरों में शिफ्ट किया गया था। इस प्रकार,लाख रुपये प्रति मास की बचत हुई। 15

6.(जेएनपीटी) जवाहरलाल नेहरु पत्तन न्यास 4, नवी मुम्बई ने जेएनपीटी टाउनशिप, नवी मुम्बई में प्रशिक्षणार्थी होस्टल भवन में वर्ग फुट माप का कार्यालय स्थान एफएसएसएआई को 11873 वर्ष की लम्बी अवधि के लिए 30 एफएसएसएआई की प्रयोगशाला और कार्यालय की स्थापना के लिए 2 लीज आधार पर आवंटित किया है। एफएसएसएआई ने जेएनपीटी को,51,95,102/-रुपये की अग्रिम राशि का भुगतान किया है और आवश्यक लीज विलेख आदि की आवश्यक औपचारिकताओं के संबंध में कार्रवाई की जा रही है और इन परिसरों में एफएसएसएआई की प्रयोगशाला और आयात कार्यालय स्थापित करने के लिए उपयुक्त रुप से नए सिरे से बनाया जाएगा।

6.एफएसएसएआई को स 5ैंट्रल डाक्यूमेंटेशन काम्पलैक्स बिल्डिंग, राजाजी सलाई, चैन्नई में 30 वर्षों के लिए लीज पर एफएसएसएआई के चैन्नई कार्यालय और प्रयोगशाला के लिए एफएसएसएआई वर्ग मीटर कार्यालय स्थान 1306 द्वारा (सीपीटी) चैन्नई को चैन्नई स्थित चैन्नई पत्तन न्यास आवंटित किया गया है। लीज की अवधि के लिए चैननई पत्तन न्यास को 17,09,04,516/- रुपये का अपेक्षित भुगतान किया गया है। लीज विलेख तैयार किया जा रहा है। इसमें प्रयोगशाला और एसआरओ का कार्यालय बनाने के लिए इस परिसर को उपयुक्त रुप से साजो समान से सुसज्जित किया-जाएगा।

6.हैदराबाद में एफएसएसएआई का उप कार्यालय खोलने के एक प्रयास में 6, मुख्य सचिव, तेलंगाना सरकार से हैदराबाद में 250-वर्ग मीटर के लगभग निर्मित स्थान उपलब्ध कराने का अनुरोध किया 300 गया है। इस संबंध में और अनुरोध किया जा रहा है। बंगलुरु, कच्छ/काण्डला, विजाग और कृष्णापटनम, जैसे अन्य स्थानों के लिए उपयुक्त स्थान प्राप्त करने के लिए संबंधित प्राधिकरणों के साथ पत्राचार किया जा रहा है।

6.खाद्य सुरक्षा और अनुप्रयुक्त पोषण के लिए दूसरा तल 7, पायलटटेस्ट हाऊस, एमआईडीसी एरिया, अंधेरी मुम्बई मे (ई)ं प्रतिशत लागत को शेयर करने के आधार पर ईआईसी के साथ संयुक्त 50 उपक्रम के रुप में अंतर्राष्ट्रीय स्तर की सुविधाओं से सुसज्जित अंतर्राष्ट्रीय प्रशिक्षण केन्द्र की स्थापना की गई है।

6.ईआईसी पायलट टेस्ट हाऊस 8, ईआईए, अंधेरी 380 मुम्बई में लगभग (पूर्व).वर्ग मीटर क्षेत्रफल 25 लेट करने के लिए सहमत हो गया है-सब/ लीज-वाले क्षेत्र को सब, जिसका कि नवीकरण किया जा रहा है ताकि डब्ल्यूआरओ की स्थापना की जा सके जोकि अभी किराए के स्थान पर अवस्थित है।

6.सीएफएल 9, कोलकाता भवन का नवीकरण किया जा रहा है। एनएफएल प्रयोगशाला को नवीनतम उपकरणों से सुसज्जित किया जा रहा है जो हर प्रकार के खाद्य परीक्षण और सम्बद्ध परीक्षण करने में सक्षम होगा।

6.भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण के कर्मचारियों के लिए वार्षिक निष्पादन प्रबंधन 10 :(पीएमएस) प्रणाली

प्राधिकरण की 29वीं बैठक 6.11.को आयोजित की गई थी जिसमें भारतीय खाद्य सुरक्षा और 2019 की शुरुआत के (पीएमएस) मानक प्राधिकरण के कर्मचारियों के लिए वार्षिक मूल्यांकन निष्पादन प्रबंधन लिए एक प्रस्ताव पर विचार किया गया था। यह निर्णय लिया गया था कि यह प्रस्ताव एफएसएसएआई के सभी कर्मचारियों की टिप्पणी के लिए परिचालित किया जाए। कुछ टिप्पणियां प्राप्त हुई थीं और उन पर विचार किया गया और वर्ष 2020- में पीएमएस का कार्यान्वयन किया गया। 21

7. वैश्विक आउटरीच

7. फूड एनवायरन्मेंट एंड ओकूपेशनल हैल्थ एं सेफ्टी के लिए) एएनएसईएस 1फ्रेंच एजेंसीऔर (2019 दिसम्बर 13 से 09 एफएसएसएआई के बीच समझौता ज्ञापन के तत्वावधान में खाद्य सुरक्षा में (सीआईएफटी) तक सैंन्ट्रल इंस्टीच्यूट आफ फिशरीज टेक्नोलॉजी, कोचीन में उन्नत सूक्ष्मजीव प्रविधियों के संबंध में व्यावहारिक प्रशिक्षण का आयोजन किया गया था।

7.11 2-को रॉयल डेनिश एम्बेसी 2019 दिसम्बर 12, नई दिल्ली में एफएसएसएआई और डेनिश वेटरीनरी एंड फूड एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा संयुक्त रुप से कृषि और खाद्य उत्पाद में (डीवीएफए) की चुनौतियों पर एक सेमिनार का आयोज (एएमआर) सूक्ष्मजीवरोधी प्रतिरोधन किया गया था।

7.में विशेष आहारीय प्रयोगों के लिए पोषण और खाद्य से 2019 भारत ने नवम्बर और दिसम्बर 3 41वें सत्र संबंधित कोडेक्स समिति के, सूक्ष्मजीवरोध प्रतिरोध से संबंधित तदर्थ कोडेक्स अंतरसरकार - कार्य बल के छठे सत्र और खाद्य स्वच्छता से संबंधित कोडेक्स समिति के 51वें सत्र में भाग लिया। इन समितियों के कार्य में भारत की सक्रिय भागीदारी से, कई महत्वपूर्ण कोडेक्स टैक्सट आयोग को अंतिम रुप से स्टेप पर अपनाए जाने के लिए अग्रेषित किए गए हैं जिसमें प्रमुख रुप से 8*खाद्य स्वच्छता के सामान्य सिद्धांत और इसके एचएसीसीपी एनेक्स अध्यक्षता भारत -मसौदा दल की सह) में संशोधन का प्रस्तावित मसौदा (द्वारा* सम्मिलित है।

7 .एफएसएसएआई ने कोडेक्स एलीमेंटेरियस कमीशन और इसकी विभिन्न समितियों और कार्य बलों 4 के चल रहे कार्यों में इलैक्ट्रानिक साधनों के माध्यम से प्रभावी रुप से सहभागिता की। हालांकि, 2020 में प्रथम छ-महीनों के दौरान होने वाली कई बैठकों को कोविड :19 महामारी के कारण रद्द करना पड़ा। उल्लेखनीय है कि एफएसएसएआई ने प्रसंस्कृत फलों और सब्जियों से संबंधित कोडेक्स समिति के चल रहे 29वें सत्र में सक्रिय रुप से भाग लिया, इस समय कार्यसूची मदों के संबंध में 2 रेपोर्टियर के रुप कार्य करते हुए भारत के साथ पत्राचार द्वारा कार्य कर रहा है।

7.भारत कोडेक्स कार्यकारी समिति के आगामी इलेक्ट्रानिक सत्र में नये समन्वयक के रुप में चीन के 5 के लिए क्षेत्रीय (सीसीएशिया) डब्ल्यूएचओ समन्वय समिति/चुनाव के साथ एशिया के लिए एफएओ) समन्वयक के रुप में भारत अपनी विस्तारित अवधि2015-2020) को पूरा करेगा। क्षेत्रीय समन्वयक के रुप में हमारी भूमिका ने कोडेक्स के कार्य की मुख्य धारा में एशियाई क्षेत्र के हितों का प्रतिनिधित्व करते हुए भारत को प्रभावशाली से शामिल किया और सीसीईएक्सईसी के कोडेक्स एलीमेंटेरियस) कमीशन का एक विचार मंच और रणनीतिक सलाहकारएक भाग बनने का सुअवसर प्रदान किया। (क्षेत्रीय समन्वयक के रुप में, भारत ने सीसीएशिया के दो सत्रों का सफलतापूर्वक आयोजन किया जिसके लिए सीसीएशिया के सदस्यों और कोडेक्स सचिवालय द्वारा चहुँ ओर से प्रशंसा हुई।

8. सामाजिक व्यावहारगत परिवर्तन

8. 2019 दिसम्बर 29 से 26 एनएएसवीआई के सहयोग से दूसरा ईट राइट मेला :ईट राइट मेला 1 तक जवाहरलाल नेहरु स्टेडियम, नई दिल्ली में आयोजित किया गया। माननीय स्वास्थ्य मंत्री डाहर्ष . वर्धन ने मेले उद्घाटन किया। मेले में दर्शकों के मनोरंजन के लिए कई प्रकार की व्यवस्थाएं की गई थीं, जिनमें न केवल दर्शकों ने पूरे भारत के स्वादिष्ट स्ट्रीट फूड का आनन्द लिया बल्कि राइट इटिंग की पद्धतियों के संबंध में विशेषज्ञों द्वारा संचालित क्विज पैनल विचारविमर्श और वार्ताओं में भी - भाग लिया। एफएसएसएआई की इस पहल पर मनोरंजक और सूचनाप्रद स्टाल भी लगाए गए, प्रसिद्ध खाना बनाने वाले प्रसिद्ध व्यक्तियों द्वारा स्वास्थ्यप्रद खाना तैयार करने का प्रदर्शन किया गया और मशहूर कलाकारों द्वारा कार्यक्रम प्रस्तुत किए गए। 10 दिनों में 5,से भी ज्यादा लोग इस मेले में 000 आए।

8.मॉयगव मंच 2 पर ईट राइट क्विजनागरिकों :, विशेषकर नौजवानों को ईटिंग राइट की मूल संकल्पना के संबंध में शिक्षित करने के लिए ईट राइट क्विज का कार्यक्रम बनाया गया है। इसके विषयों में शामिल हैं सफाई-स्वच्छता और साफ :, सुरक्षित खाद्य पद्धतियां, खाद्य अपमिश्रण, संतुलित और स्वास्थप्रद आहार, खाद्य अपमिश्रण, खाद्य क्षति और खादय की बर्बादी को कम करना और खाद्य से संबंधित अन्य क्षेत्र। इस क्विज को इस प्रकार बनाया गया है कि इसका आनंद https://eatrightindia.gov.in/eatrightquiz/home पर ऑनलाइन लिया जा सकता है। इस क्विज से न केवल सही उत्तर प्राप्त होते हैं बल्कि प्रश्न के संबंध में सही स्पष्टीकरण और अतिरिक्त जानकारी भी मिलती है। ऑनलाइन क्विज के विजेता के लिए प्रमाण पत्र भी तैयार हो जाता है। यह क्विज 12 ज 20 से 2019 दिसम्बरनवरी तक मॉयगव मंच पर दर्शायी गई थी जिसमें एक लाख 2020 1000 सहभागियों ने हिस्सा लिया था। प्रथम एक सौ विजेताओं को प्रशसा प्रमाण पत्र और;/- रुपये के नकद पुरस्कार प्रदान किए गए।

8.खाने की सही आदतों के बारे में नागरिकों क : माईगव मंच पर विशेषज्ञों का आह्वान 3ो शिक्षित करने के लिए दो महीनों से माईगव मंच पर खाद्य और पोषक पदार्थों के क्षेत्र के विशेषज्ञों द्वारा छोटी, 30 सैकिण्ड की विडियो प्रदर्शित की जा रही है। हर विडियो में कोई न कोई जरुरी बातें बतायी गई है, जिसे हम अपना सकते हैं और अमल में ला सकते हैं।

9. प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण

खाद्य सुरक्षा प्रशिक्षण और प्रमाणन कार्यक्रम के अंतर्गत (फोस्टेक), अभी तक, कुल 12900 प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं और 3. लाख खाद्य प्रहस्तकों को प्रशिक्षित किया गया है। मार्च 13 -में कोविड 202019 के फैलने से, एफएसएसएआई ने भौतिक रुप से किए जाने वाले सभी प्रशिक्षण कार्यक्रमों पर रोक लगा दी थी और तात्कालिक स्वरुप के कार्यों के रुप में ऑनलाइन प्रशिक्षण देना प्रारंभ किया गया। खाद्य संबंधी कार्यों करते हुए, कोविड-19 के संबंध में पूर्वोपाय उपायों के संबंध में खाद्य उद्योग और खाद्य प्रहस्तकों को प्रशिक्षित करने के लिए 600 प्रशिक्षण साझेदारों और 242 -प्रशिक्षकों के साथ पूरा फोस्टेक पारिस्थितिकी का उपयोग किया गया। कोविड19 पूर्वोपाय के बारे में अभी तक करीब लोगों को प्रशिक्षित किया 22000 प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए गए और 800 गया।एनएसडीसी के अंतर्गत, ज्यादा से ज्यादा खाद्य हैंडलरों तक पहुंचने के लिए, एफआईसीएसआई - खाद्य प्रसंस्करण सेक्टर कौशल परिषद, जो कि सेक्टर कौशल परिषदों में से एक है, के साथ सहयोगतात्मक प्रयास किए जा रहे हैं। एफएसएसएआई नियमित फोस्टेक पाठ्यक्रम भी ऑनलाइन शुरु करने जा रहा है जिसमें ऑनलाइन मूल्यांकन सम्मिलित होगा। केवल खाद्य सुरक्षा पर्यवेक्षक के कार्यक्रम ही नहीं, बल्कि प्रशिक्षकों के प्रशिक्षण कार्यक्रम भी जून 1, 2020 से ऑन लाइन प्रारंभ होंगे। एफएसएसएआई ने पूरे देश में नियामक कर्मचारियों के लिए ऑनलाइन कोविड प्रशिक्षण भी प्रारंभ 19 किए हैं। इन प्रशिक्षण कार्यक्रमों में फील्ड स्तर के अधिकारियों और एफबीओ की अपेक्षाओं के लिए -प्रमुख रुप से कोविड19 को समझने, पूर्वोपाय करने पर ध्यान केन्द्रित किया गया है।

....

अनुबंध-1

आयोजित क्षमता निर्माण कार्यक्रमों का विवरण

क्र .सं.	सहभागी राज्य संघ राज्य क्षेत्र/	स्थान	प्रशिक्षण की तारीख	उम्मीदवारों की संख्या
क. विशिष्ट प्रशिक्षण कार्यक्रम				
1. सूक्ष्मजीवों में मूलभूत तकनीकी				
क	सभी राज्य संघ राज्य क्षेत्र/	सूक्ष्मजीवविज्ञान विश्लेषण प्रशिक्षण केन्द्र(सीएमएटी), राष्ट्रीय खाद्य प्रयोगशाला (एनएफएल), गाजियाबाद	सितम्बर 20 से 18 2019	11
II. फल और सब्जी में बहु कीटनाशक अवशिष्ट विश्लेषण बैच)I एवं II(				
क	सभी राज्यसंघ राज्य क्षेत्र/	खाद्य सुरक्षा समाधान केन्द्र (एफएसएससी), राष्ट्रीय खाद्य प्रयोगशाला (एनएफएल), गाजियाबाद	18 से 14 अक्तूबर2019	10
ख	सभी राज्यसंघ राज्य क्षेत्र/	खाद्य सुरक्षा समाधान केन्द्र (एफएसएससी), राष्ट्रीय खाद्य प्रयोगशाला (एनएफएल), गाजियाबाद	15 से 11 2019 नवम्बर	19 जिसमें शामिल हैं) 4 नेपाल से आए (व्यक्ति
III. कवक विष				
क	सभी राज्यसंघ राज्य क्षेत्र/	निर्यात निरीक्षण परिषद, कोचि	10- 13 2019 दिसम्बर	14
प्रेरण युग्मित प्लाजमा मास स्पेक्टोमेट्री विश्लेषण (भारी धातु) तत्व-का प्रयोग करते हुए ताजे फलों और सब्जियों में बहु (एमएस-आईसीपी)				
क.	सभी राज्यसंघ राज्य क्षेत्र/	खाद्य सुरक्षा समाधान केन्द्र (एफएसएससी), राष्ट्रीय खाद्य प्रयोगशाला (एनएफएल), गाजियाबाद	20 से 18 2019 दिसम्बर	18 जिसमें शामिल) हैं नेपाल से आए (व्यक्ति 4
IV. उच्च जोखिम खाद्य सीएचआईएफएसएस) मांस और कुक्कुट के विश्लेषण के लिए सूक्ष्मजीवविज्ञानीयप्रविधियों पर प्रायोगिक प्रशिक्षण - (के साथ सहयोग से				
क.	सभी राज्य संघ राज्य/क्षेत्र	सूक्ष्मजीवविज्ञान विश्लेषण प्रशिक्षण केन्द्र(सीएमएटी), राष्ट्रीय खाद्य प्रयोगशाला (एनएफएल), गाजियाबाद	24 से 20 2020 जनवरी	12
V. एलसी–एमएस और जीसी/एमएस-एमएस अवशिष्ट विश्लेषण-एमएस का प्रयोग करते हुए अनाजों में बहु/				
क	सभी राज्यसंघ राज्य क्षेत्र/	खाद्य सुरक्षा समाधान केन्द्र (एफएसएससी), राष्ट्रीय खाद्य प्रयोगशाला (एनएफएल), गाजियाबाद	21 से 17 2020 फरवरी	12
VI. दोहरे फोर्टिफाइड नमक में फोर्टिफिकेशन के विश्लेषण की पद्धति (आयरन और आयोडीन)				
क.	आंध्र प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ, दिल्ली, गुजरात, गोवा,हिमाचल प्रदेश,मध्य प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र,तमिलनाडु, तेलंगाना,उत्तर प्रदेश	फेयर लैब्स प्रागुरुग्राम .लि ., हरियाणा	3- मार्च 5 2020	15
			कुल	111

क्र .सं.	सहभागी राज्य संघ राज्य क्षेत्र/	स्थान	प्रशिक्षण की तारीख	उम्मीदवारों की संख्या
ख. सामान्य प्रशिक्षण कार्यक्रम - अच्छी खाद्य प्रयोगशाला पद्धतियां				
1. सूक्ष्मजीवों में मूलभूत तकनीकी				
क	असम, मणिपुर,मेघालया, नागालैंड, ओडिशा, सिक्किम त्रिपुरा और पश्चिम बंगाल	एडवर्ड फूड रिसर्च एंड एनालिसिस सेंटर,कोलकाता	अक्तूबर 17 से 15 2019	28
ख.	महाराष्ट्र,मध्य प्रदेश, गुजरात, तमिल नाडु, पुदेचेरी और केरल	आईटीसीएफएसंएएन-, मुम्बई	28-2020 जनवरी 30	41
ग	छत्तीसगढ़, हरियाना, श्रीनगर,झारखण्ड, केरल, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान, तमिलनाडु,उत्तर प्रदेश	श्रीराम इंस्टीच्यूट फार इंडस्ट्रीयल रिसर्च, दिल्ली	24-2020 फरवरी 28	22
			कुल ख	89
			सकल योग क) + ख (	200